



उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)
 वीजसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा विधिवर 2025 कैम्प स्थल - कपासन

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 278/25 वापर दिनांक 27/05/2025 निर्णय दिनांक 27/05/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट			
1	<u>कुचाराड</u>	<u>2023</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं नाजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		तहसिलीदार कपासन की अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज. भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कुचाराड</u> मह. <u>कुचाराड</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खातासं: <u>278/25</u>
			हस्ताक्षर पटवारी <u>कपासन</u>	हस्ताक्षर गिरदाहर <u>कपासन</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन (उपखण्ड अधिकारी) सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
 1. पटवारी पटवार मण्डल कपासन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कपासन जिला- चितौड़गढ़

तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार(भू.अ.) कपासन